न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–कटनी

पुनर्विलोकन - 2477-I-13

छोटेलाल पुत्र रामचन्द्र कौल, निवासी– ओर्डीनेस फैक्ट्री कटनी, जिला–कटनी (म.प्र.)

..........आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन

2– विनोद कुमार पुत्र जागेश्वर प्रसाद, निवासी– इमलिया, जिला–कटनी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 16.12.13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1862-I/2013 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.06.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

16/12/13

मामले का संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम पड़वारा में स्थित भूमि खसरा नंत्र 532 रकवा 1.97 एवं ग्राम पडुआ में स्थित भूमि खसरा नं. 1476, 1479, 1482, 1485 कुल रकवा 3.01 हेक्टेयर है, जिस पर वह काबिज होकर कास्त कर रहा है।

2– यहकि, आवेदक के पास उपरोक्त भूमि के अलावा ग्राम इमलिया तहसील व जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 684 रकवा 4.99 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि है।

3– यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम इमलिया स्थित संदर्भित भूमि अनावेदक क्रमांक 2 विनोद कुमार तिवारी, निवासी– ग्राम इमलिया को 90,000 प्रति एकड़ के मान से विक्रय की अनुमति हेतु कलेक्टर, जिला–कटनी के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2010 से मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आवेदक द्वारा बीमारी से सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य, भूमि बेनामी सम्पत्ति प्रतीत होना स्पष्ट होता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 4477–एक/2013 जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.16	उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1862–एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 20–6–13 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	